01.06.2023	अधिवक्ता अपीलांट पारसमल बराडा उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का सद्‌भावी खरीददार है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख खरीद की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहे है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख खरीद की है। एवं अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अत प्रकरण मे सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 29/2022 बउनवान लुंगादेवी बनाम पार्वतीदेवी वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 को अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक विचाराधीन है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	पेशी दिनांक 17.05.2023 नियत थी। उक्त प्रार्थना के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त प्रार्थना पत्र को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 29/2022 बउनवान लुंगादेवी बनाम पार्वतीदेवी वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली